

संचिका सं०-35/रा०वि०आ०-02-01/2026-9305

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

दि०-05-10-2026

विषय:- सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित अंतरिम प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए लागू करने के संबंध में।

सप्तम राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन तथा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 168 एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-2858 दिनांक-13.03.2025 द्वारा किया गया है।

2. सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा संदर्भित विषयों पर दिनांक-31.03.2026 तक अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना था। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-4450 दिनांक-12.05.2026 द्वारा आयोग का कार्यकाल दिनांक-30.09.2026 तक विस्तारित किया गया है। साथ ही स्थानीय निकायों को अनुदान की राशि उपलब्ध कराने हेतु षष्ठ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को संकल्प संख्या-3640 दिनांक-27.03.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तथा संकल्प संख्या-5039 दिनांक-27.05.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विस्तारित किया गया।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए आयोग द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया। समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा सप्तम राज्य वित्त आयोग द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को वित्तीय



वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए निम्न रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया है :

(क) प्रतिनिधायन (Devolution) के रूप में स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं वित्तीय वर्ष 2027-28 में अंतरित की जाने वाली राशि क्रमशः वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का 06 प्रतिशत होगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में प्रतिनिधायन के रूप में अंतरित की जाने वाली राशि निम्न तालिका में देखी जा सकती है:

t-1 के आधार पर अंतरिम अनुमान		
	राशि करोड़ रुपये में	
	2026-27	2027-28
मद	प्रतिनिधायन	प्रतिनिधायन
PRI's	2057.89	2437.34
ULBs	1108.09	1312.41
कुल	3165.98	3749.75

नोट: प्रतिनिधायन (Devolution) के रूप में अंतरित की जाने वाली राशि चालू वर्ष से पूर्व वर्ष के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होगी।

(ख) स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं वित्तीय वर्ष 2027-28 में क्रमशः वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य के कुल वास्तविक व्यय का 2.5 प्रतिशत होगी। अनुदान की राशि का 50 प्रतिशत स्थानीय निकायों को सीधे तौर पर हस्तांतरित की जायेगी एवं 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उन स्कीमों के अंतर्गत व्यय किया

जाएगा, जिनका उद्देश्य स्थानीय निकायों का विकास करना है। अनुदान की राशि निम्नवत् होगी :

(राशि करोड. रु० में)

Fund Transfer in 2006-27 and 2027-28	Particulars	2025-26	2026-27	2027-28
	CFS Projection	320400.12	347589.76	
Grant @2.5% of Previous year expenditure	Transfer Direct to Local Bodies-50%		4005.00	4345.00
	Expenditure by Departments-50%		4005.00	4345.00

(ग) वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए प्रतिनिधायन एवं अनुदान राशि की अंतिम गणना क्रमशः वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक आंकड़े प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी एवं अनुपातिक रूप से प्रतिनिधायन एवं अनुदान राशि का वितरण उक्त दर से किया जायेगा।

(घ) स्थानीय निकायों के बीच कुल हस्तांतरित राशि का अंतर्विभाजन निम्नवत् होगा:

सामान्य निधि (General Fund)	:	50 प्रतिशत
विकास निधि (Development Fund)	:	30 प्रतिशत
अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund)	:	20 प्रतिशत

सामान्य निधि (General Fund)

(a) इस निधि के 30 प्रतिशत राशि का उपयोग स्थापना व्यय यथा-वेतन एवं मजदूरी, नियमित कार्यालय व्यय एवं अन्य प्रशासनिक खर्च, नागरिक सेवाओं के परिचालनात्मक खर्च इत्यादि पर किया जायेगा।

(b) पंचायती राज संस्थाओं की सामान्य निधि की 50 प्रतिशत राशि पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु कर्णांकित होगा।

(c) पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा पंचायत सरकार भवनों पर 20 KW एवं नल-जल योजना के जलमीनारों पर 5 KW के सोलर पैनल की स्थापना में व्यय की जाने वाली राशि शेष सामान्य निधि के अंतर्गत भारित होगी। क्षमता संवर्धन पर व्यय (प्रशिक्षण सहित), सूचना प्रावैधिकी पर व्यय, कार्यालय स्थान पर व्यय, सामान्य निधि में शामिल होंगे।

विकास निधि (Development Fund)

(a) इस निधि की 40 प्रतिशत राशि स्थानीय योजनाओं के लिए अनाबद्ध (Untied) होगी।

(b) पंचायती राज संस्थाओं के लिए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण, पंचायत सरकार भवनों पर 20 KW एवं नल-जल योजना के जलमीनारों पर 5 KW के सोलर पैनल की स्थापना में राशि की किसी भी प्रकार की कमी को विकास निधि के शेष 60 प्रतिशत की राशि से पूरी की जाएगी।

(c) अवशेष राशि का उपयोग राज्य प्रायोजित योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को पूर्ण करने में किया जाएगा।

अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund)

(a) इस राशि का उपयोग सम्पत्तियों के रख-रखाव एवं नागरिक सेवाओं के लिए विद्युत विपत्रों के भुगतान में किया जाएगा।

(ड) पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के बीच प्रतिनिधायन (Devolution) एवं अनुदान (Grant) की राशि का अंतर्विभाजन क्रमशः 65:35 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए किया जाएगा।

(च) पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के प्रत्येक स्तर के बीच राशि का क्षेत्रीय वितरण हेतु जनसंख्या और क्षेत्रफल का भारांक (Weightage) क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत होगा।

(छ) पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों, यथा, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के बीच राशि का वितरण 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

(ज) स्थानीय निकायों को विमुक्त की जाने वाली राशि की विमुक्ति प्रतिवर्ष किस्तों में वित्त विभाग की सहमति से की जायेगी।

(झ) स्थानीय निकायों को विमुक्त की जाने वाली राशि की विमुक्ति निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत नहीं किये जाने की स्थिति में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ञ) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान राशि के हस्तांतरण हेतु षष्ठ राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा अवधि को संकल्प सं०-5039, दिनांक-27.05.2026 के माध्यम से विस्तारित किया गया है। सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा लागू करने हेतु संकल्प निर्गत करने की तिथि से षष्ठ राज्य वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष-2026-27 के लिए विस्तारित अवधि समाप्त हो जाएगी एवं अंतरिम अनुशंसा के आलोक में विमुक्त की जाने वाली राशि से वित्तीय वर्ष-2026-27 के लिए विमुक्त की गई राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

4. यह आदेश वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(संजीव मि्तल)

अपर सचिव

ज्ञापांक-35/रा0वि0आ0-02-01/2026 9305 पटना, दिनांक-05-10-2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव

ज्ञापांक-35/रा0वि0आ0-02-01/2026 9305 पटना, दिनांक-05-10-2026

प्रतिलिपि-माननीय अध्यक्ष, सप्तम राज्य वित्त आयोग, बिहार, वित्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव

ज्ञापांक-35/रा0वि0आ0-02-01/2026 9305 पटना, दिनांक-05-10-2026

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

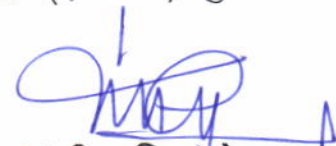


(संजीव मित्तल)

अपर सचिव

ज्ञापांक-35/रा0वि0आ0-02-01/2026 9305 पटना, दिनांक-05-10-2026

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव